

30/4/2023 अगिलेख उपलब्धित । ट्रेडर द्वारा बकाया
राशि कार्यालय के नजरत शाखा में
NR. No. - 3409490, दिनांक - 27/04/2023
के द्वारा जमा किया गया है।

शाखा प्रबंधक SBI के द्वारा मौखिक
रूप से बताया गया कि ट्रेडर द्वारा अपनी
मूल राशि के 50% राशि जमा करने के
पश्चात ट्रेडर से संबंधित नीलाम
पत्र बाढ़ लोक अदालत में आपली
समंजस्य के तहत निष्पादन किया
जाता है।

वर्तमान में ट्रेनदार द्वारा 50% राशि
जमा कर दिया गया है।

अतः लोक अदालत में जीलाम पत्र वाद
निव्यादन की प्रत्याशा में आगिलेख की कार्रवाई
बंद की जाती है।